

## हर काम देश के नाम

दूरभाष / Tele. 220228.  
फैक्स / Fax 220614  
ई-मेल cbranikhet@dgest.org

पत्रांक / Letter No. 261/Mutation Add/2020-21,  
कार्यालय छावनी परिषद, रानीखेत।  
Office of the Cantonment Board, Ranikhet.  
दिनांक /Dated 05 अगस्त/Aug, 2020.

सेवा में,

स्थानीय संवाददाता,  
दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान, रानीखेत।

**विषय : विज्ञापित प्रकाशन के सम्बन्ध में।**

कृपया निम्न सूचना को अपने आगामी अंक में न्यूनतम स्थान में न्यूनतम सरकारी दरों पर प्रकाशित कर देयक समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित इस कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित करने की व्यवस्था करें।

मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद, रानीखेत।

प्रतिलिपि :

✓ श्री० अकील अहमद सिद्दीकी,  
प्रोग्रामर, छावनी परिषद, रानीखेत।

— को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

### छावनी परिषद, रानीखेत सूचना प्रकाशन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रानीखेत छावनी क्षेत्रान्तर्गत निम्न सम्पत्ति में दाखिल खारिज की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्र० सं०	वर्तमान पट्टेधारक का नाम	उन व्यक्तियों का नाम जिनके नाम पर दाखिल खारिज की कार्यवाही की जानी है।	मकान संख्या एवं स्थल का नाम	सर्वे संख्या
1	सर्वश्री नवीन चन्द्र वर्मा, रमेश चन्द्र वर्मा, दिनेश चन्द्र वर्मा एवं डॉ० ओ०पी० वर्मा पुत्रगण स्व० श्री हीरा लाल वर्मा	1. श्री विजय वर्मा पुत्र स्व० श्री नवीन चन्द्र वर्मा, 2. श्रीमती ललिता वर्मा पत्नी स्व० श्री रमेश चन्द्र वर्मा, 3. श्री नितिन वर्मा पुत्र स्व० श्री रमेश चन्द्र वर्मा, 4. श्री नरेश वर्मा पुत्रस्व० श्री दिनेश चन्द्र वर्मा, 5. श्री आलोक वर्मा पुत्र स्व० श्री दिनेश चन्द्र वर्मा	मकान संख्या 292-294	99 / 159

अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार दाखिल खारिज किये जाने में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 30 दिवस भीतर अपनी लिखित आपत्ति मय साक्ष्यों के छावनी परिषद, कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार न करते हुये दाखिल खारिज की कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। यह नाम परिवर्तन कर भुगतान हेतु किया जा रहा है जिसका भूमि पर मालिकाना हक से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि भूमि भारत सरकार की है।

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय की वेबसाईट [www.cbranikhet.org.in](http://www.cbranikhet.org.in) पर लॉगआन किया जा सकता है।

पत्रांक : 261 / म्यूटेशन-एड / 20-21

दिनांक : अगस्त, 2020

मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद, रानीखेत।

प्रतिलिपि / Copy to :

1. श्री विजय वर्मा,  
निवासी मकान नम्बर 292,  
जरूरी बाजार, रानीखेत।

को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति दो समाचार पत्रों में आपके खर्चे पर प्रकाशित की जा रही है, जिसके भुगतान की सूचना आपको बाद में प्रेषित की जायेगी।